# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रामगढ़ जिला अलवर

पीठासीन अधिकारी :— महेश चन्द्र मान आर. ए. एस.

| दावा | तारीख रजू | तारीख निर्णय |
| --- | --- | --- |
| 1/216 | 21.12.2016 | 23.04.2019 |

उनवान

प्रदीप कुमार जैन पुत्र श्री शिखरचन्द जैन वगैराह

.................वादीगण

बनाम

करतार सिंह पुत्र मंगतूराम जाट

.......................प्रतिवादी

(प्रा0 पत्र जेर आर्डर 7 रूल 11

जा0 दी0 व सक्सेशन 11 जा0 दी0)

उपस्थित अभिभाषकगण—

1. श्री राकेश यादव एडवोकेट — वादीगण
2 श्री जगदीश सतीजा —"— —"—
2. श्री राजकुमार यादव एडवोकेट — प्रतिवादी

## निर्णय

वादीगण (प्रतिवादी) द्वारा प्रस्तुत प्रा0 पत्र का विवरण संक्षेप में इस प्रकार हैं कि वादीगण ने प्रतिवादीगण के विरूद्ध गलत तथ्यों के आधार पर दावा पेश किया है जो प्रथम स्टेज पर ही खारिज होने योग्य है। वादीगण दावा अन्तर्गत धारा 88, 89, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत प्रतिवादीगण के विरूद्ध लाये है, और दावे में वादीगण ने विवादित आराजी खसरा नम्बर 2395 दर्शायी है जबकि वादीगण का आराजी खसरा नम्बर 2395 रकबा 0.20 हैक्ट0 वाके ग्राम मुबारिकपुर तहसील रामगढ है से कोई लेना देना नही है और ना ही वादीगण उक्त आराजी को 188 का दावा लाने का अधिकार नही है। वादीगण खसरा नम्बर 2395 को अपने दावा में सडक घोषित करवाना चाहते है जबकि कानूनन वादीगण को इस प्रकार की घोषणा कराने

उप खण्ड अधिकारी
रामगढ़ (अलवर)

Scanned by CamScanner

का अधिकार नही है राज्य सरकार अगर चाहे तो सडक घोषित करवा सकती है वादीगण जो सिविल परसन है उनको इस तरह का दावा करके प्रतिवादी आराजी को सडक घोषित करवाने का अधिकार नही है उनका दावा मौजूदा सूरत में चलने योग्य नही है। नियमानुसार खसरा नम्बर 2395 में से सडक का रकबा कम करने के पश्चात शेष बची भूमि पर प्रतिवादी काबिज है और उक्त गलत दावा की आड में वादीगण उपरोक्त आराजी को हडप करने की गरज से जबरन कब्जा करना चाहते है जिस कारण उन्होनें गलत तथ्यों के आधार पर यह दावा पेश किया है जो तथ्य काबिल गौर अदालत है। और पटवारी हल्का की रिपोर्ट से भी प्रमाणित है कि सडक के बाद 2395 के शेष बचे रकबे पर प्रतिवादी काबिज है। वादीगण ने दावा आराजी खसरा नम्बर 2395 को दर्शाया है और डिक्री की रिलीफ में खसरा नम्बर 2393 व 2394 को भी दर्शाया है जिस बाबत यह रिलीफ मांगी है कि उक्त आराजी के उपयोग व उपभोग में किसी प्रकार की रूकावट व मजाहमत न करे जबकि उक्त आराजी दावा हाजा में विवादित है ही नही तो वादीगण उक्त आराजी की बाबत रिलीफ कैसे मांग सकते है और वादीगण विवादित आराजी 2395 रकबा 0.20 हैक्ट0 वाके ग्राम मुबारिकपुर के रिकोगनाईज्ड खातेदार नही है इस कारण वोह उक्त आराजी की बाबत प्रतिवादी को पाबन्द कराने के अधिकारी नही है क्योकि उनको विवादित आराजी की बाबत ऐसा दावा लाने का अधिकार न तो था और न है उनका दावा गलत तथ्यों पर आधारित है जो प्रथम स्टेज पर ही खारिज होने योग्य है।

अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि वादीगण का दावा व दरख्वास्त मौजूदा सूरत में उपरोक्त तथ्यों के आधार पर चलने योग्य न होने के कारण प्रथम स्टेज पर ही खारिज फरमाया जावे।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजि0 किया जाकर किया गया। प्रतिवादी (वादीगण) की ओर से जवाब प्रस्तुत किया गया जिसका विवरण इस प्रकार है कि वादीगण ने प्रतिवादी के खिलाफ गलत तथ्यों के आधार पर नही बल्कि सही व वास्तविक तथ्यों के साथ संस्थित किया है जो खारिज होने योग्य कतई नही है। वादीगण ने दावा अन्तर्गत धारा

उप खण्ड अधिकारी
रामगढ (अलवर)

Scanned by CamScanner

88, 89, 188 आरटीएक्ट के तहत प्रतिवादी के खिलाफ प्रस्तुत किया है बाकी लेख गलत है खसरा नम्बर 2395 में सरकारी डाम्बर रोड बनी हुई है जिसे प्रतिवादीगण ने भी अपने जवाब दावा में स्वीकार किया है जिस रोड को गौरव पथ के नाम से जाना जाता है और जहां कोई सरकारी सडक बनी हुई हो तो उसके सम्बन्ध में कोई भी शख्स व्यक्तिगत रूप से मना हो सकता है। क्योंकि सरकारी सडक सार्वजनिक होती है जो किसी व्यक्ति विशेष के स्वामित्व की नहीं होती है इसलिए यह गलत है कि वादीगण का आराजी खसरा नम्बर 2395 से कोई लेना देना नही हो। बल्कि वादीगण को दावा लाने का पूरा कानूनी हक हांसिल है दावे वादीगण ने यह भी अंकित किया है कि वादीगण की आराजी पर प्रतिवादी द्वारा कब्जा करके नाजायज प्रयास किया गया है जिस बाबत वादीगण ने वाद में अनुतोष भी चाहा है। इसलिए भी दावा लाने का कानूनन अधिकार प्राप्त था। प्रतिवादी का यह कहना गलत है कि दावा धारा 188 आरटीएक्ट का लाने का अधिकार नही है। सरकारी सडक के दोनों तरफ वादीगण की आराजीयात है। उक्त डाम्बर रोड विगत करीब 40–50 सालों से मौके पर बदस्तूर कायम चला आ रहा है। विवादित आराजी का नुमायशी बयनामा रणजीत कौर वगै0 से करवाया गया है जो बिला कब्जा होने के कारण खिलाफ कानून है और आरम्भ से ही शुन्य है। इसलिए उक्त आराजी खसरा नम्बर 2395 रकबा 0.20 को गै0मु0रास्ता घोषित किया जाकर कागजातमाल में इसका अमल दरामद कराया जाना अत्यन्त आवश्यक है। राजस्व अभिलेख में खसरा नम्बर 2395 का मौके के मुताबिक गै0मु0सडक का इन्द्राज नही होने के परिणामस्वरूप से प्रतिवादी ने रणजीतकौर से राजस्व रिकार्ड में गलत अंकन के आधार पर खसरा नम्बर 2395 का बैयनामा कराया है इसलिए राजस्व अभिलेख में इसका इन्द्राज गै0मु0रास्ते के रूप में होना अति आवश्यक है। प्रतिवादी खसरा नम्बर 2395 पर कही भी काबिज नही है न खसरा नम्बर 2395 का कृषि भूमि के रूप में मौके पर कोई अस्तित्व है बल्कि इसमें तो अरसे दराज से डाम्बर रोड बनी हुई है। जो सार्वजनिक निर्माण विभाग ने व पुलिस ने भी एक प्रकरण में किये गये अनुसंधान में माना है। जबकि विवादित आराजी खसरा नम्बर

उप खण्ड अधिकारी
रामगढ (अलवर)

Scanned by CamScanner

2395 की चौडाई मौके पर निर्धारित सडक की पैमाईश से कम है। सडक के आलावा खसरा नम्बर 2395 की कोई आराजी तरफ दक्षिण की ओर शेष नही बचती है। इस कारण खसरा नम्बर 2395 का कोई अस्तित्व मौके पर नही है अपितु सडक है। तथाकथित हल्का पटवारी रिपोर्ट की नकल नही दी गई है। जिसके बिना इस बाबत समुचित जवाबदेही दिया जाना सम्भव नही है। वादीगण ने मौका कमिश्नर हेतु प्रार्थना पत्र भी पेश किया हुआ है। दावे में जो घोषणात्मक डिक्री चाही है वह खसरा नम्बर 2395 के बारे में ही चाही गई जो अनुतोष के चरण में दर्ज है। प्रतिवादी माननीय न्यायालय को गुमराह करने का प्रयास कर रहा है दावें में वादीगण ने स्पष्ट अंकित किया है कि प्रतिवादी, वादीगण की खातेदारी की आराजी पर नाजायज कब्जा करना चाहता है तथा उपयोग उपभोग में बेजा रूकावट व मजाहमत पैदा करता है। इसलिए खसरा नम्बर 2393, 2394 व 2397 भी वाद में विवादित है किन्तु ये खसरा नम्बर वाद में सहबन से लिखने से रह गये थे जिसके लिए वाद में उचित संशोधन हेतु पृथक से प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जा रहा है। प्रतिवादी ने प्रार्थना पत्र महज केवल मात्र मुकदम में विलम्ब व पेचीदगीयां पैदा करने की दुर्भावना से पेश किया है। इसलिए प्रार्थना पत्र प्रतिवादी काबिल खारिज है। प्रतिवादी ने वर्तमान प्रार्थना पत्र अपने जवाब दावा में बचाव के लिए जो कथन किए है उनके आधार पर प्रस्तुत किया है। जबकि कानूनन आदेश 7 नियम 11 जा0 दी0 का प्रार्थना पत्र बचाव में किये गये कथनों अथवा आधार पर प्रस्तुत नही किया जा सकता है। बल्कि वाद के तथ्यों के आधार पर ही पेश किया जा सकता है। जिस वाद में दर्ज तथ्यों के आधार पर मौजूदा वाद कानूनन काबिल पेशरफ्त है। इसलिए प्रार्थना पत्र प्रतिवादी काबिल खारिज है। वैसे भी प्रतिवादी ने जो आपत्ति की है, उसे तनकी कायम होकर बाद साक्ष्य ही तैय किया जा सकता है। इसलिए भी प्रार्थना पत्र प्रतिवादी काबिल खारिज है।

उभयपक्ष के विद्वान वकुलाय की बहस सुनी गई। वादी (प्रतिवादी) के विद्वान वकील ने अपनी बहस में प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए बताया कि वादीगण ने प्रतिवादीगण के विरूद्ध गलत तथ्यों के आधार पर दावा पेश किया है जो

उप खण्ड अधिकारी
(अलवर)

Scanned by CamScanner

प्रथम स्टेज पर ही खारिज होने योग्य है। वादीगण दावा अन्तर्गत धारा 88, 89, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत प्रतिवादीगण के विरुद्ध लाये है, और दावे में वादीगण ने विवादित आराजी खसरा नम्बर 2395 दर्शायी है जबकि प्रतिवादीगण का आराजी खसरा नम्बर 2395 रकबा 0.20 हैक्ट0 वाके ग्राम मुबारिकपुर तहसील रामगढ है से कोई लेना देना नही है और ना ही वादीगण उक्त आराजी को 188 का दावा लाने का अधिकार नही है। वादीगण खसरा नम्बर 2395 को अपने दावा में सडक घोषित करवाना चाहते है जबकि कानूनन वादीगण को इस प्रकार की घोषणा कराने का अधिकार नही है राज्य सरकार अगर चाहे तो सडक घोषित करवा सकती है वादीगण जो सिविल परसन है उनको इस तरह का दावा करके प्रतिवादी की आराजी को सडक घोषित करवाने का अधिकार नही है उनका दावा मौजूदा सूरत में चलने योग्य नही है। नियमानुसार खसरा नम्बर 2395 में से सडक का रकबा कम करने के पश्चात शेष बची भूमि पर प्रतिवादी काबिज है और उक्त गलत दावा की आड में वादीगण उपरोक्त आराजी को हडप करने की गरज से जबरन कब्जा करना चाहते है जिस कारण उन्होनें गलत तथ्यों के आधार पर यह दावा पेश किया है जो तथ्य काबिल गौर अदालत है। और पटवारी हल्का की रिपोर्ट से भी प्रमाणित है कि सडक के बाद 2395 के शेष बचे रकबे पर प्रतिवादी काबिज है। वादीगण ने दावा आराजी खसरा नम्बर 2395 को दर्शाया है और डिक्री की रिलीफ में खसरा नम्बर 2393 व 2394 को भी दर्शाया है जिस बाबत यह रिलीफ मांगी है कि उक्त आराजी के उपयोग व उपभोग में किसी प्रकार की रूकावट व मजाहमत न करे जबकि उक्त आराजी दावा हाजा में विवादित है ही नही तो वादीगण उक्त आराजी की बाबत रिलीफ कैसे मांग सकते है और वादीगण विवादित आराजी 2395 रकबा 0.20 हैक्ट0 वाके ग्राम मुबारिकपुर के रिकोगनाईज्ड खातेदार नही है इस कारण वोह उक्त आराजी की बाबत प्रतिवादी को पाबन्द कराने के अधिकारी नही है क्योकि उनको विवादित आराजी की बाबत ऐसा दावा लाने का अधिकार न तो था और न है उनका दावा गलत तथ्यों पर आधारित है जो खारिज योग्य है। अप्रार्थी (वादी) के विद्वान वकील ने अपनी बहस में

Scanned by CamScanner

जवाब के तथ्यों को दोहराते हुए बताया कि प्रार्थना पत्र बचाव में किये गये कथनों अथवा आधार पर प्रस्तुत नही किया जा सकता है। बल्कि वाद के तथ्यों के आधार पर ही पेश किया जा सकता है। जिस वाद में दर्ज तथ्यों के आधार पर मौजूदा वाद कानूनन काबिल पेशगत है। इसलिए प्रार्थना पत्र प्रतिवादी काबिल खारिज है। वैसे भी प्रतिवादी से जो आपत्ति की है, उसे तनकी कायम होकर बाद साक्ष्य ही तैय किया जा सकता है। इसलिए भी प्रार्थना पत्र प्रतिवादी काबिल खारिज है।

पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों का अध्ययन किया। उभयपक्षके विद्वान वकुलाय की बहस पर मनन किया जिससे प्रतीत होता है कि वादीगण ने प्रतिवादीगण के विरूद्ध गलत तथ्यों के आधार पर दावा पेश किया है जो प्रथम स्टेज पर ही खारिज होने योग्य है। वादीगण दावा अन्तर्गत धारा 88, 89, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत प्रतिवादीगण के विरूद्ध लाये है, और दावे में वादीगण ने विवादित आराजी खसरा नम्बर 2395 दर्शायी है जबकि वादीगण का आराजी खसरा नम्बर 2395 रकबा 0.20 हैक्ट0 वाके ग्राम मुबारिकपुर तहसील रामगढ है से कोई लेना देना नही है और ना ही वादीगण उक्त आराजी को 188 का दावा लाने का अधिकार नही है। वादीगण खसरा नम्बर 2395 को अपने दावा में सडक घोषित करवाना चाहते है जबकि कानूनन वादीगण को इस प्रकार की घोषणा करने का अधिकार नही है राज्य सरकार अगर चाहे तो सडक घोषित करवा सकती है वादीगण जो सिविल परसन है उनको इस तरह का दावा करके प्रतिवादी की आराजी को सडक घोषित करवाने का अधिकार नही है उनका दावा मौजूदा सूरत में चलने योग्य नही है। वादी द्वारा 01 नियम 8 के तहत दावा नही किया तथा 01 नियम 8 जा0 दी0 का अलग से प्रार्थना पत्र पेश किया जाता है। तथा उसके लिए अदालत से प्रार्थना पत्र 01 नियम 8 मंजूर करने के पश्चात ही दावा चल सकता है। तथा 01 नियम 8 के तहत 5 या 5 से अधिक व्यक्ति ही दावा पेश कर सकते है। परन्तु उक्त वाद में 01 नियम 8 की पालना नही कराई गई। वादीगण का मौजूदा वाद खारिज किया जाना उचित प्रतीत होता है।

उप खण्ड अधिकारी
रामगढ (अलवर)

Scanned by CamScanner

आदेश

अतः प्रतिवादी का प्रार्थना पत्र ऑर्डर 7 रूल्स 11 स्वीकार किया जाता है। तथा वादी का मौजूदा वाद कानून वर्जित होने तथा पेश रफ्त नही होने के कारण खारिज किया जाता है। इसी प्रकार पर्चा डिक्री बनाई जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील जाप्ता दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय मेरे द्वारा लिखाया जाकर आज दिनांक 23.04.2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
रामगढ़ (अलवर)

Scanned by CamScanner